

अत्यावश्यक /  
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय / 2019

जयपुर, दिनांक 24.9.19


श्री वेद प्रकाश मीणा  
कनिष्ठ विधि अधिकारी  
कार्यालय जयपुर नगर निगम  
जयपुर।

**विषय:**—राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।

**संदर्भ:**— इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 29.08.2019 एवं 16.09.2019 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.08 द्वारा आपका स्थानान्तरण कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर से विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के विरुद्ध श्री आशीष गुर्जर के स्थान पर किया गया। आप द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16.09.2019 द्वारा उक्त आदेश की पालना कर तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में की जानी थी। आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

अतः आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत हैं व नियमानुसार आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।



(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव